राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141–2222403 ईमेल : वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/100 दिवस का.यो./ 879-1078 दिनांक : 30/01/19

1. जिला कलेक्टर (समस्त),
   राजस्थान।
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषय : 100 दिवसीय कार्ययोजना की क्रियान्विति बाबत।

जैसाकि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र को नीति–पत्र घोषित करते हुये इसके कतिपय बिन्दुओं पर 100 दिवसीय कार्ययोजना बनाकर शीघ्र क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं पर 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसका नगर निकायों के स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है :–

क्रम सं.	घोषणा का बिन्दु सं. व विवरण	विभागीय कार्य योजना	नगरीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही
4.	15.2 – पार्कों के संरक्षण और संवर्द्धन (Promotion) की योजना बनाना।	राज्य की समस्त नगरीय निकायो के क्षेत्राधिकार में स्थित पार्को के संरक्षण और संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम में 08, शेष प्रत्येक नगर निगम में 05, प्रत्येक नगर परिषद में 03 एवं द्वितीय श्रेणी की प्रत्येक नगर पालिका में 02 पार्क एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की प्रत्येक नगर पालिकाओं में 01 पार्क को आम नागरिकों के लिये पूर्ण सुविधाओं से युक्त बनाया जावे। पार्को में सघन वृक्षारोपण/पौधारोपण, घास, बैठने के लिये बेंचों की व्यवस्था व फुटपाथ का निर्माण (आवश्यकतानुसार), रात्रि में प्रकाश के लिये एल.ई.डी. लाईटें एवं बच्चों के खेलने के लिये झूले इत्यादि की व्यवस्थायें करना सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु 10 फरवरी, 2019 तक कार्यो के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निविदा आमंत्रित कर शीघ्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये 2 मार्च, 2019 तक कार्यादेश जारी करना सुनिश्चित करावें। प्रपत्र–अ	
5.	15.4 – प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण, जमीन की उर्वरता तथा वातावरण/पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए	'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत विभाग द्वारा समस्त नगर निकायों को प्लास्टिक केरी बैग्स/प्रतिबन्धित पॉलिथीन की रोकथाम हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक नगर निकाय अपने क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण,	

Scanned by CamScanner

	प्लास्टिक/पॉलिथीन पर सख्ती से नियंत्रण करना।	उपयोग/उपभोग को हतोत्साहित करने व परिवहन पर सख्ती से रोक/प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। प्लास्टिक कैरी बैग्स/पॉलिथीन को जब्त करने हेतु जिला कलेक्टर्स के निर्देशन में 1 फरवरी, 2019 से 15 दिवस के लिये विशेष अभियान चलाया जावे। **प्रपत्र–ब**	
16	23.11.03 – अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली, पानी व लिंक सड़के आदि की सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जावेगी।	A. प्रदेश की समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित अनुसूचित जाति की बस्तियों का चिन्हिकरण किया जावे तथा इन बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर स्ट्रीट लाईट व सड़कों की मरम्मत/ नवीन निर्माण कार्य करवाने हेतु 10 फरवरी, 2019 तक कार्यो के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निविदा आमंत्रित कर शीघ्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये 2 मार्च, 2019 तक कार्यादेश जारी करना सुनिश्चित करावें। B. इसी प्रकार विभाग के अधीन 09 नगरीय निकाय यथा : श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बून्दी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू, नोखा एवं तख्तगढ में पेयजल विहीन अनुसूचित जाति की बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। **प्रपत्र–स**	
19	27.35 – प्रदेश में अपशिष्ट प्रबन्धन (Waste Management) व पुनर्चक्रण (Recycling) के लिये कारगर नीति का निर्धारण करना।	विभाग द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के तहत् सभी नगरीय निकायों में घर–घर से कचरा संग्रहण, कचरे का स्रोत पर ही पृथक्कीकरण करना व उसका परिवहन करना, बड़ी मात्रा में कचरा उत्पादकों द्वारा स्वयं के स्तर पर ही परिसर में कचरे से खाद बनाना, पार्को में कचरे से खाद बनाना तथा सुखे कचरे को पृथक कर उसको पुनर्चक्रण व सुखे कचरे के निपटान की प्रभावी व्यवस्था कार्य योजना तैयार कर प्राथमिकता के आधार की जावे एवं उक्तानुसार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट पाक्षिक रूप से विभाग को भिजवाई जावे। **प्रपत्र–द**	
20	**27.36 – शहरो और गांवों में बीमारियों की रोकथाम और पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छता हेतु महत्ती कार्ययोजना।**	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत राज्य की समस्त नगर निकायों में स्वच्छता का स्तर बनाये रखने हेतु आवश्यक घरेलु शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत घर–घर कचरे का संग्रहण एवं परिवहन किया जाकर निकाय स्तर पर कम्पोस्ट खाद बनाये जाने का कार्य करवाया जाना अपेक्षित है। शहरों में स्वच्छता के स्तर को	

Scanned by CamScanner

		बढ़ाने एवं आपसी प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करने हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण–2019, जनवरी–2019 से प्रारम्भ किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत एजेन्सी प्रमाणीकरण/सत्यापन के लिये शहरों में भेजी जा रही है। सभी निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की कार्ययोजना के अनुसार कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही "गारवेज फ्री सिटी" हेतु स्टार रेटिंग (1 से 7) के लिये निकायों को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया गया है। स्टार रेटिंग के मापदण्डों के अनुसार निकायों को "गारवेज फ्री सिटी" बनाने हेतु किये गये कार्यो के आधार पर स्टार रेटिंग का निर्धारण कर स्वयं के स्तर पर घोषणा करती हैं। भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी (क्वालिटी कॉन्सिल ऑफ इण्डिया) द्वारा प्रमाणीकरण/सत्यापन कार्य किया जा रहा है। राज्य में 'स्वच्छता' कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाली नगर निकायों को राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया जावेगा। प्रपत्र– ढ	
21	27.37 – सीवरेज एवं सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से अथवा मृत्यु से सफाईकर्मियों को बचाने के लिए आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।	सिवरेज एवं सेप्टिक टैंक/मैनहॉल्स की सफाई हेतु आवश्यक उपकरणों/मशीनों के साथ सफाई कार्य के निर्देश प्रदान किये गये हैं। सामान्यतः यह कार्य अनुबन्ध के आधार पर पर करवाया जाता है। अनुबन्ध की शर्तों में सीवर सफाई हेतु आवश्यक उपकरणों की शर्तें डालकर उनकी सुनिश्चितता हेतु निकायों को निर्देशित किया गया है। साथ ही सीवर सफाई हेतु आवश्यक मशीनों जैसे : सीवर जेटिंग मशीनों, सीवर सक्शन मशीनों तथा सुपर सक्शन मशीनों की वार्षिक दर पर संविदा कर निकायों को उनकी मांग के आधार पर क्रय किये जाने के निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। नगरीय निकायों द्वारा आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों की आवश्यकतानुसार क्रय की कार्यवाही कर सूचना प्रेषित की जावे। प्रपत्र–थ	
22	27.38 – शहरों में खुले नाले व नालियों को ढ़कने की व्यवस्था की जायेगी।	राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय के आबादी एवं दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में आवागमन में बाधित खुले नाले व नालियों को फेरोकवर/आर.सी.सी/स्टोन पट्टी इत्यादि से ढकाव कराने की व्यवस्था RUIRP-I एवं II अन्तर्गत करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि फिर भी किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में दुर्घटना सम्भावित व आवागमन में बाधित खुले नाले व नालियों को फेरोकवर/आर.सी.सी/स्टोन पट्टी इत्यादि के माध्यम से ढकने की आवश्यकता हो, तो इस कार्य को प्राथमिकता पर नगरीय निकाय फण्ड से करवाया जावे। प्रपत्र–र	

Scanned by CamScanner

23	27.61 – प्रदेश के सभी श्मशानों एवं कब्रिस्तानों को आवश्यक सुविधाओं से युक्त करना।	वर्तमान में राज्य की नगरीय निकायों मे RUIRP-II के अन्तर्गत लगभग 450 श्मशानों/कब्रिस्तान में विकास कार्य करवाये जा रहे है। इसी के साथ नगरीय निकाय क्षेत्र में शेष श्मशान/कब्रिस्तानों को चिन्हित करवाकर 01 माह में कार्ययोजना बनाई जावे। कार्ययोजना अनुसार 10 फरवरी, 2019 तक कार्यो के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निविदा आमंत्रित कर शीघ्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये 2 मार्च, 2019 तक कार्यादेश जारी करना सुनिश्चित करावें। प्रपत्र- ल	

अतः राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्य की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे एवं की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र – 'अ' 'ब' 'स' 'द' 'य' 'र' व 'ल' में सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से विभागीय ई–मेल : dlbrajasthan@gmail.com व cedlbjp@gmail.com पर पाक्षिक रूप से विभाग को प्रेषित करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/100 दिवस का.यो./1079-1335 दिनांक : 30/01/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
9. कार्यकारी निदेशक, राज. शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम लि.(RUDSICO), जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक (इन्फ्रा.)/मुख्य अभियन्ता, रूड़सिकों, जयपुर।
13. मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
14. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम।
15. संयुक्त निदेशक (IT), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
17. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner

100 दिवसीय कार्य योजना पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट
(अभियान्त्रिकी अनुभाग)

प्रपत्र – अ

जन घोषणा संख्या : 15.2

संभाग का नाम :–

दिनांक .... से ....तक

100 दिवसीय कार्य योजना के दौरान पार्कों के संरक्षण और संवर्द्धन की सूचना

क्र. सं.	नाम नगरीय निकाय	पार्कों के संरक्षण और संवर्द्धन हेतु निर्धारित लक्ष्य अनुसार पार्कों की (संख्या)	कार्य योजना में सम्मलित किये गये पार्कों में							
			लगाये गये पेड–पौधों की संख्या	कितने पार्कों में घास लगाई (संख्या)	लगाई गई घास का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	बैठने हेतु लगाई गई बैंचो की संख्या	फुटपाथ निर्माण / मरम्मत कार्य (रनिंग मीटर)	पानी की व्यवस्था हॉ या नही	प्रकाश व्यवस्था हेतु मरम्मत व नवीन लाइटों की संख्या	ओपन जिम / बच्चों के खेलने के उपकरण / झूलों की व्यवस्था हॉ या नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

- न्यूनतम निर्धारित लक्ष्य – जयपुर, नगर निगम 08, अन्य नगर निगम 05, नगर परिषद 03, द्वितीय श्रेणी नगर पालिका 02 एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका 01.

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका

प्रपत्र – ब

जन घोषणा संख्या : 15.4

दिनांक .... से ....तक

संभाग का नाम :–

प्लास्टिक कैरी बैग्स की जब्ती की कार्यवाही की सूचना

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	कुल जप्त की गई प्लास्टिक / पोलिथीन की मात्रा किलो ग्राम में	पेनल्टी के रूप में वसूल की गई राशि रू. में	अन्य कार्यवाही विवरण
1	2	3	4	5
1				
2				

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका

Scanned by CamScanner

100 दिवसीय कार्य योजना पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट
(अभियान्त्रिकी अनुभाग)

प्रपत्र – स

जन घोषणा संख्या : 23.11.03

दिनांक .... से ....तक

संभाग का नाम :–

100 दिवसीय कार्य योजना के दौरान अनुसूचित जाति की बस्तियों में की गई मूलभूत सुविधाओं की सूचना						
क्र. सं.	नाम नगरीय निकाय	चिन्हित की गई अनुसूचित जाति की बस्तियों की संख्या	कार्य योजना के दौरान अनुसूचित जाति की बस्तियों में करवाये गये कार्यों का विवरण			
			लगाई गई लाईटों की संख्या	मरम्मत की गई लिंक सड़कों की लम्बाई (मीटर में)	नवीन बनाई गई सड़को की लम्बाई (मीटर में)	की गई पेयजल की व्यवस्था
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका

Scanned by CamScanner

100 दिवसीय कार्य योजना पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट
(अभियान्त्रिकी अनुभाग)

प्रपत्र – द

जन घोषणा संख्या : 27.35 & 27.36

संभाग का नाम :– दिनांक .... से ....तक

घर–घर कचरा संग्रहण									
क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	कुल वार्ड	घर–घर कचरा संग्रहण	वार्डो मे कचरे का पृथ्थकरण	ठोस अपशिष्ट उत्पादन (टी.पी.डी)		ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग (टी.पी.डी)		अपशिष्ट प्रोसेसिंग स्थल का नाम
					गीला कचरा	सूखा कचरा	गीला कचरा	सूखा कचरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									

पार्को का कचरा संधारण				
क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	कुल पार्को की संख्या	पार्को में कुल अपशिष्ट उत्पादन (टी.पी.डी)	पार्को के कुल अपशिष्ट का प्रोसेसिंग (टी.पी.डी)
1	2	3	4	5
1				
2				

बल्क वेस्ट जनरेटर (100 Kg या उससे अधिक प्रतिदिन कचरा उत्पादन करने वाले संस्थान)				
क्र.सं.	नगरीय निकाय का नाम	होटल/रेस्टोरेन्ट/मेरिज गार्डन/सब्जी मण्डी एवं अन्य	कुल अपशिष्ट उत्पादन (टी.पी.डी)	कुल अपशिष्ट प्रोसेसिंग (टी.पी.डी)
1	2	3	4	5
1				
2				

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका

Scanned by CamScanner

100 दिवसीय कार्य योजना पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट
(अभियान्त्रिकी अनुभाग)

जन घोषणा संख्या : 27.37 प्रपत्र – य

संभाग का नाम :– दिनांक .... से ....तक

सीवर सफाई हेतु आधुनिक तकनीक एवं उपकरणो का विवरण												
क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	सीवर सशक्न/जेटिंग मशीन	मेनहॉल गार्ड	ट्राइपोड स्टेण्ड	खतरे के झण्डे (Danger flag)	सुरक्षालेंप/टॉर्च	सीवर क्लीनिंग बकेट	पोर्टेबल पंप	पीपीई (जेकेट और सेफ्टी हेलमेट)	ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस मास्क	फेस एयर ब्लोअर	गैस डिटेक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												

- सीवर कार्य हेतु कुल कर्मचारियों की संख्या :–
  - स्वयं के कर्मचारी की संख्या :–
  - अनुबंधित कर्मचारी की संख्या :–
- यदि सीवर कार्य अनुबंध से कराया जा रहा है तो उपरोक्त लिखे सभी उपकरणों को आवश्यक रूप से रखने हेतु अनुबंध में प्रावधान तथा संबन्धित ठेकेदार को पाबन्द करना।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका

प्रपत्र – र

जन घोषणा संख्या : 27.38 दिनांक .... से ....तक

संभाग का नाम :–

100 दिवसीय कार्य योजना के दौरान आबादी एवं दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में आवागमन में बाधित खुले नाले व नालियों के ढकाव की सूचना			
क्र.सं.	नाम नगरीय निकाय	ढकाव किये गये नालों/नालियों की संख्या	ढकाव किये गये नालों/नालियों की लम्बाई (मीटर में)
1	2	3	4
1			
2			

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका

Scanned by CamScanner

100 दिवसीय कार्य योजना पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट
(अभियान्त्रिकी अनुभाग)

जन घोषणा संख्या : 27.61 प्रपत्र – ल

संभाग का नाम :– दिनांक .... से ....तक

100 दिवसीय कार्य योजना के दौरान श्मशान एवं कब्रिस्तानों में की गई व्यवस्थाओं की सूचना										
क्र. सं.	नाम नगरीय निकाय	कार्य योजना में सम्मलित श्मशान एवं कब्रिस्तानों की संख्या	कार्य योजना के दौरान श्मशान एवं कब्रिस्तानों में करवाये गये कार्यो का विवरण							
			चार दिवारी लम्बाई (मीटर में)	टीनशेड निर्माण (वर्ग मी.)	लगाये गये बैंचो की संख्या	नवीन व मरम्मत की गई लाईटों की संख्या	पानी की व्यवस्था हॉ या नहीं	की गई स्नानाघर व शौचालयों की व्यवस्था	लगाये गये पेड–पौधों की संख्या	फुटपाथ निर्माण व मरम्मत (रनिंग मीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका

Scanned by CamScanner